सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 61/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. महावीर पुत्र घीसालाल
2. पुष्पादेवी पत्नि घीसालाल
3. राजेश पुत्र घीसालाल
4. कमलेश पुत्र घीसालाल
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र घीसालाल

निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

रामनिवास सरंक्षक छीतरमल तेली निवासी सदारा तहसील सावर जिला अजमेर ,राज.

प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांकः–28.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सदारा में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **128, राज. भू राजस्व** के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर के खाता स. 230 के खसरा नम्बर 409 रकबा 2.20 हैक्ट. वादीगण के नाम जर्ये नामा. से** है। **है।** जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। दिनांक 28.06.2017 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में पेश हुयी। वादी उप.।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकार को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का वाद प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर के खाता स. 230 के खसरा नम्बर 409 रकबा 2.20 हैक्ट .** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी